

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 257/2024

अनवान : -

1. परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कमलजीत सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरचरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
3. बलदेव कौर पत्नी साधुसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 08/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 27/27 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 547/37940 हिस्सा भूमि वादी के एवं 137/9485 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 547/37940 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं 56/271 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 तथा 56/271 हिस्सा भूमि वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह का स्वर्गवास हो चुका है सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की वादी के भाई है अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की चाची है ने भी उक्त वाद भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर



वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण सुखदेव कौर, वारिसान प्रमाण पत्र बहक सुखदेव कौर आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यार सिंह के नाम दर्ज है। वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह का स्वर्गवास हो चुका है सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की वादी के भाई है अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की चाची है ने भी उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता सं० 27/27 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 547/37940 हिस्सा भूमि वादी के एवं 137/9485 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 547/37940 हिस्सा

भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं 56/271 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 तथा 56/271 हिस्सा भूमि वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यार सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यार सिंह के नाम दर्ज है। वादी की माता सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह का स्वर्गवास हो चुका है सुखदेव कौर पत्नी गुरप्यारसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की वादी के भाई है अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो की वादी की चाची है ने भी उक्त वाद भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक सुखदेव कौर के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 27/27 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1.7322 हैक्ट भूमि का वादी को संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक सुखदेव कौर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 257/2024

अनवान : -

1. परमिन्द्र सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. कमलजीत सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
2. गुरचरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह पुत्र गुरप्यारसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
3. बलदेव कौर पत्नी साधुसिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 257 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 27/27 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि में से 1.7322 हैक्ट भूमि का वादी को संयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक सुखदेव कौर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर